

फर्द अहकार

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर


प्रकरण संख्या233/20

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
वनाम

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र धारा 131, 32 एलआरए नम्बर 233 सन् 2020

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-10-20	<p>तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम खेड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 256/1 (चारागाह), 266/1 (गै0मु0हरडी), 267/1 (बारानी-2) रकबा क्रमशः 04-02-00, 03-03-00, 00-12-00 भूमि में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का भुवाड़ा परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित ख0नं0 256/1 किस्म चारागाह को छोड़ते हुए शेष ख0नं0 266/1 (गै0मु0हरडी), 267/1 (बारानी-2) रकबा क्रमशः 03-03-00 एवं 00-12-00 का राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग गै0मु0 सड़क के नाम अंकन करने एवं तरमीम करने का आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग गै0मु0 सड़क अमल दरामद करें। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)